



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं
निर्माण निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 2065

/ टी०एन० / ५)

दिनांक: 12-8-16

अल्पकालीन निविदा सूचना

अध्यक्ष उत्तराखण्ड पेयजल निगम के ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक 26.08.2016 को निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी में अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 27.08.2016 को 12:00 बजे अपराह्न उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी के कार्यालय में गठित निविदा समिति के हारा उपस्थित निविदा दाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	ठेकेदार की पंजीकृत श्रेणी	धरोहर धनराशि (रु०)	निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि	निविदा आमनत्रण की तिथि	निविदा खुलने की तिथि	कार्य पूर्ण की अवधि	निविदा का मूल्य (रु०)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	हारिघर दलीप सिंह (ब्यूरा) रु००३०८००००००० के अन्तर्गत ५० के०एल० के आर०सी०सी० ग्राउण्ड टैक का निर्माण एवं तत्सम्बन्धित कार्य।	'डी'श्रेणी अथवा उच्च श्रेणी (पाइप लाईन कार्य)।	14000.00	25.08.16	26.08.16	27.08.16	३ माह	500.00 +13.5% वैट

— : जल संचय जीवन संघर्ष —

नोट:- नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10 बजे से लायः 5 बजे तक कार्यालय या नोटिस बोर्ड में दर्खी जा सकती है।

A.D.H. 8.1
MC
23/8

(एस०सी० पन्त)
अधिशासी अभियन्ता

प्रकाशन के लिये नहीं।

नियम एवं शर्तें:-

- निविदा विक्रय/प्राप्त करने/खोलने की तिथि को यदि अवकाश रहता है तो निविदा का विक्रय/प्राप्त करने की तिथि/खोलने की तिथि अवकाश के अगले कार्य दिवस को होगी। निविदा विक्रय की तिथि अवकाश के कारण बढ़ने पर निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की तिथि रखते इसके अगले दिन हो जायेगी।
- निविदा प्रपत्र डाक द्वारा संगाने पर रु० 100.00 अतिरिक्त डाक व्यय देना होगा। पंजीकृत डाक से निर्धारित समय के अंतर्गत प्राप्त निविदायें ही विचारणीय होगी। निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा क्रय करते समय ठेकेदार को अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के निविदा निर्गत नहीं की जायेगी।
- निविदाएं सीलबन्द लिफाफे में डाली जाय तथा लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम/ठेकेदार का नाम निविदा खुलने की तिथि इत्यादि आवश्यक विवरण अंकित किया जाए।

महाप्रबन्धक (अधिकारी)

मुख्य अधिकारी (मु.)


2016/16/8/2016/

4. बगेर अरनेस्ट मनी के प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं विद्या जायेगा। अरनेस्ट मनी पोर्ट ऑफिस की किरणी अल्प बचत स्कीम के अंतर्गत अथवा राष्ट्रीयकृत दैनिक प्रतिशूलि के अंतर्गत अधोहरताक्षरी के पदनाम से बचक बर प्रस्तुत की जायेगी।
5. निविदा प्रपत्र क्रय करते समय वांछित अर्नेस्ट मनी हेतु दगाड़ी गणी एफ०डी०आ०० / एन०एस०सी० जो अधोहरताक्षरी के नाम बचक हो, वी छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी तदोपरान्त ही निविदा प्रपत्र निर्गत की जायेगी।
6. अधोहरताक्षरी एवं निविदा कमेटी को एक अथवा सभी निविदाओं को विना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।
7. अन्य नियम एवं शर्तों कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र में इमित रपेशिफिकेशन के अनुरूप होंगी।
8. निविदा प्रपत्र के साथ दरों की वैधता हेतु रु० 100.00 का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर मय रु० 1.00 के रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर करते हुये संलग्न करना अनिवार्य है।
9. ठेकेदार को रु० 10.00 के नॉन जूडेशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उनका कोई निकट सम्बन्धी शाखा/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत नहीं है।
10. निविदा में माँगी गई दरें शिड्यूल "जी" में मान्य होंगी।
11. निविदा में माँगी गई दरें आइटम वाइज होंगी एवं प्रतिशत में इमित दरें मान्य नहीं होंगी।
12. कार्य का भुगतान धन की उपलब्धता के अनुसार कराये जायेंगे।
13. शासनादेश रांख्या 6447/111(2)/11-20 (सा०) / 2011 दिनांक 02.01.2013 के अनुरूप नियमानुसार Performance Security जमा करनी अनिवार्य होगी एवं इस आदेश के तहत विभागीय दरों से यदि 5 प्रतिशत से कम दरें डाली जायेंगी तो Additional Performance Security भी जमा करनी होगी।
14. शासन/निगम द्वारा निर्मित अन्य आदेशों का क्रियान्वयन बाध्यकारी होगा।
15. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

प०स० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता(मु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 11 मोहिनी रोड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता(कु०), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, नैनीताल।
4. विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता।
6. मण्डलीय लेखाकार/संगणक।
7. नोटिस बोर्ड में चम्पा हेतु।



अधिकारी अभियन्ता